

मुस्लिम महिलाओं हेतु न्यूनतम ववाह योग्य आयु में वृद्धि

प्रलिस के लयि:

महलाओं हेतु न्यूनतम ववाह योग्य आयु में वृद्धि, बाल ववाह, जया जेटली टास्क फोरस, महला अधकारिता और लैगकि समानता ।

मेन्स के लयि:

न्यूनतम ववाह आयु संबधी मुददे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने सरकार से [राष्ट्रीय महिला आयोग \(National Commission for Women- NCW\)](#) द्वारा मुस्लिम महिलाओं के लयि ववाह की न्यूनतम आयु को अन्य धर्मों के लोगों के समान करने के लयि दायर याचिका पर जवाब देने के लयि कहा ।

ववाह हेतु न्यूनतम आयु कानूनी ढाँचा

पृष्ठभूमि:

- भारत में ववाह की न्यूनतम आयु पहली बार शारदा अधनियम, 1929 के रूप में जाने जाने वाले कानून द्वारा नरिधारति की गई थी । बाद में इसका नाम बदलकर **बाल ववाह प्रतबिंध अधनियम (Child Marriage Restraint Act- CMRA), 1929** कर दिया गया ।
- वर्ष 1978 में लड़कियों के लयि ववाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कों के लयि 21 वर्ष करने के लयि CMRA में संशोधन कया गया था ।
- **बाल ववाह प्रतबिंध अधनियम (Prohibition of Child Marriages Act- PCMA), 2006** नामक नए कानून में भी यही स्थिति बनी हुई है, जसिने **CMRA, 1929** का स्थान लया है ।

वर्तमान:

- हदुओं के लयि **हदु ववाह अधनियम, 1955** लड़कियों के लयि न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कों के लयि न्यूनतम आयु 21 वर्ष नरिधारति करता है ।
- इस्लाम में नाबालगि की शादी जो तरुण अवस्था (प्यूबर्टी) प्राप्त कर चुकी है, वैध मानी जाती है ।
- **वशिश ववाह अधनियम, 1954** और **बाल ववाह नषिध अधनियम, 2006** भी क्रमशः महलाओं और पुरुषों के लयि ववाह की न्यूनतम आयु 18 एवं 21 वर्ष नरिधारति करते हैं ।
- शादी की नई उमर को लागू करने के लयि इन कानूनों में संशोधन कयि जाने की उम्मीद है ।
 - वर्ष 2021 में केंद्रीय मंत्रमिडल ने महलाओं के लयि ववाह की कानूनी आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव दया ।

महलाओं के कम उमर में ववाह संबधी मुददे:

- **मानवाधकारों का उल्लंघन:** बाल ववाह महलाओं के मानवाधकारों का उल्लंघन करता है और नीत नरिमाताओं का इस पर ध्यान नहीं जाता है ।
 - इन बुनयादी अधकारों में **शकिषा का अधकार**, आराम और अवकाश का अधकार, मानसकि या शारीरिक शोषण से सुरक्षा का अधकार (बलात्कार एवं यौन शोषण सहति) शामिल हैं ।
- **महलाओं का अशक्तीकरण:** चूँकि बालकिएँ अपनी शकिषा पूरी नहीं कर पाती हैं, इसलये वे **आश्रति और शक्तीहीन बनी रहती हैं**, जो लैगकि समानता प्राप्त करने की दशिया में एक बड़ी बाधा के रूप में कार्य करती है ।
- **संबद्ध समस्याएँ:** बाल ववाह के साथ ही **कशिशोर गर्भावस्था** एवं **चाइल्ड स्टंटगि**, जनसंख्या वृद्धि, बच्चों के खराब लर्नगि आउटकम और **कार्यबल में महलाओं की भागीदारी** की हाना जैसे परगाम भी जुड़ जाते हैं ।
 - घर में कशिशोर पत्नियों का नमिन दर्जा आमतौर पर उन्हें लंबे समय तक घरेलू शर्म, बदतर पोषण और **एनीमया** की समस्या, सामाजकि अलगाव, **घरेलू हसिा** और घरेलू वषियों में नरिणय लेने की कम शक्तियों की ओर धकेलता है ।
 - कमज़ोर शकिषा, **कुपोषण** और कम आयु में गर्भावस्था बच्चों के जन्म के समय कम वजन का कारण बनती है, जसिसे कुपोषण का अंतर-पीढ़ी चकर बना रहता है ।

नष्करषः

- वववह संबन्धी वर्तमान कानून आयु-केंद्ररतल हैं और कसलरी धरुम वशेष इसमें कोई अपवाद नहीं है और 'युवावस्था' मात्र के आधार पर वर्गीकरण का कोई वैज्ञानकल समर्थन नहीं है और न ही वववह करने की क्षमता के साथ कोई परत्यक्ष संबन्ध है ।
- एक वयक्तल जलसलने तरुणावस्था पराप्त कर ली है वह परजनन के लयल जैवकल रूप से सकक्षम हो सकता है, लेकनल इसका मतलब यह नहीं है कलउक्त वयक्तल भानसकल या शारलरकल रूप से यौन करयलओं में संलग्न होने और बच्चे को जन्म देने के लयल पर्याप्त रूप से परपलकव है ।

सरोतः द हदु

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/raising-minimum-marriageable-age-for-muslim-women>

